

उपायुक्त, आय कर, बड़ौदा

बनाम

गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 3957-3958 2002 का)

8 फरवरी, 2008

[एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.]

आय कर अधिनियम, 1961:

धारा 36 (1) (iii) और धारा 37-बैंक से पूंजी उधार पर 'प्रतिबद्धता शुल्क'
-विदेशी बैंक द्वारा पुनर्वित्त-धारा 36 (1) (iii) के तहत, कटौती के अन्तर्गत दावा-

यह निर्धारित किया गया कि: अधिनियम की धारा 36 (1) (iii) के तहत नहीं
बल्कि धारा 37 के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी गई है।

धारा 36 (1) (iii)-उधार ली गई पूंजी पर 'वित्त शुल्क'- प्रकृति- यह
निर्धारित किया गया कि: ब्याज के भुगतान के समान है- प्रतिबद्धता शुल्क के साथ
समीकृत और राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है- इसलिए, अधिनियम की धारा 37
के तहत कटौती योग्य है।

शब्द और वाक्यांश: 'प्रतिबद्धता शुल्क' -का अर्थ।

इन अपीलों पर यह प्रश्न विचार हेतु उठे कि, क्या निर्धारिती द्वारा किसी विदेशी कंपनी को देय 'प्रतिबद्धता शुल्क', जिसने निर्धारिती द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋण को, जो उसने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आई. डी. बी. आई. बैंक से प्राप्त किया था, पुनर्वित्त किया था, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (iii) के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती है; और इस बारे में कि, क्या विदेशी कंपनी को 'शुल्क' का भुगतान किया जाना, धारा 36 (1) (iii) के तहत ब्याज के भुगतान के समान था और इसलिए, कटौती के रूप में अनुमति दी जानी थी।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने यह निर्धारित किया कि:

1.1 'प्रतिबद्धता शुल्क' अग्रिम भुगतान था। न्यायाधिकरण ने धारा 37 के तहत दावे की अनुमति दी और धारा 36 (1) (iii) के तहत नहीं, इसलिए कोई उसमें दुर्बलता नहीं है [पैरा 3] [656-डी, एफ]।

अतिरिक्त आयुक्त आयकर बनाम अक्का माम्बा टेक्सटाइल्स लिमिटेड 1997 (227) आई. टी. आर. 464; आयकर आयुक्त बनाम शिवकामी मिल्स लिमिटेड 1997 (227) आई. टी. आर. 465- पर निर्भर रखी गई।

1.2 हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, एक बार जब विभाग ने विदेशी कंपनी को देय शुल्क को ब्याज के साथ जोड़ दिया, तो इस न्यायालय का निर्णय *उपायुक्त, आयकर, विभाग, अहमदाबाद बनाम सर्वश्री कोर स्वास्थ्य केयर लिमिटेड क्रियाशील होता है और दूसरे मुद्दे का जवाब इस प्रकार दिया जाता है कि, निर्धारिती द्वारा दावा के अनुसार, विदेशी कंपनी को देय वित्त शुल्क ब्याज के भुगतान के समान था।[पैरा 4] [657-सी, डी]

*उपायुक्त, आयकर विभाग, अहमदाबाद बनाम सर्वश्री कोर स्वास्थ्य केयर लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित, सिविल अपील नम्बर 2002 का 3952-55- पर निर्भरता रखी गई।

1.3 निर्धारिती द्वारा विदेशी कंपनी को भुगतान किए गए वित्तीय शुल्क को भी, विभाग द्वारा, उस प्रतिबद्धता शुल्क के समीकृत रखा गया है, जिसे राजस्व व्यय माना जाता है और धारा 37 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कटौती योग्य माना जाता है [पैरा 5] [657-डी, ई]।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील क्रमांक 3957-3958/2002

गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद के कर अपील संख्या 39-40/ 2001 में निर्णय और आदेश दिनांकित 25.04.2001 से।

पी विश्वनाथ शेटी, गौरव अग्रवाल और बी. वी. बलराम, अपीलार्थी के लिए।

जे. पी. शाह, मनीष जे. शाह, जतिन ज़वेरी और हरीश जे. झवेरी - उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा:-

कापडिया, न्यायमूर्ति

1. ये दीवानी अपीलें, विभाग द्वारा, कर अपील संख्या 39 एवं 40, 2001 में, गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 25.4.01 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. इनमें निर्धारण के लिए विधि के दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जो इस प्रकार हैं:

(1) क्या "प्रतिबद्धता शुल्क" की, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (iii) के तहत, कटौती की, अनुमति दी जा सकती है ?

(2) क्या COFACE को, प्रदत्त "शुल्क", धारा 36 (1) (iii) आय-कर अधिनियम, 1961 के तहत, ब्याज के भुगतान के समान हैं और इसलिए, कटौती के रूप में अनुमत है?

3. प्रश्न संख्या (1) के संबंध में हम कह सकते हैं कि, निर्धारिती द्वारा, आई. डी. बी. आई. से 1 करोड़ रुपये (लगभग) उधार लिए थे जिन्हें बदले में, COFACE द्वारा,

पुनर्वित्त किया गया था, जिस विदेशी कंपनी द्वारा, निर्धारिती द्वारा देय ब्याज, प्रतिबद्धता शुल्क और बीमा शुल्क, प्रभारित किया गया था।

उक्त "प्रतिबद्धता शुल्क" अग्रिम भुगतान था। हमने आई. डी. बी. आई. और निर्धारिती के बीच अनुबंध की भी जांच की है। अतिरिक्त आयुक्त आयकर बनाम अक्कामाम्बा टेक्सटाइल्स लिमिटेड 1997 (227) आई. टी. आर. 464 के मामले में, इस न्यायलय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, निर्धारिती द्वारा बैंकर और बीमा कंपनी को भुगतान किया गया कमीशन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 के तहत, स्वीकार्य कटौती थी। प्रकरण आयकर आयुक्त बनाम शिवकामी मिल्स लिमिटेड 1997 (227) आई. टी. आर. 465 में, इस न्यायलय का निर्णय भी इसी प्रभाव से है।

उक्त वर्णित आलेख के कारण, हम प्रश्न संख्या (1) का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और विभाग के खिलाफ देते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि, उपरोक्त दोनों निर्णय, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 37 के तहत कटौती की अनुमति देते हैं, न कि 1961 के अधिनियम की धारा 36 (1) (iii) के तहत। इस मामले में न्यायाधिकरण ने धारा 37 के तहत दावे की अनुमति दी है और धारा 36 (1) (iii) के तहत नहीं, इसलिए उसमें कोई दुर्बलता नहीं है।

4. जहाँ तक प्रश्न संख्या (2) का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि निर्धारिती ने अपनी वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के रूप में, फॉस्फोरिक एसिड परियोजना की स्थापना की और उस उद्देश्य के लिए आई. डी. बी. आई. से विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त किया जो बदले में, COFACE द्वारा पुनर्वित्त किया गया था, बशर्ते कि निर्धारिती, COFACE को वित्त शुल्क का भुगतान करता हो, जो निर्धारिती के अनुसार ब्याज के भुगतान के समान था।

विभाग ने उक्त मद की, इस आधार पर अनुमति नहीं दी कि, COFACE को, विदेशी मुद्रा ऋण पर, वित्त शुल्क का भुगतान, ब्याज और प्रतिबद्धता शुल्क की प्रकृति में था और चूंकि शुल्क का भुगतान फॉस्फोरिक एसिड के निर्माण की परियोजना के संबंध में किया गया है, जिसने मूल्यांकन वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू नहीं किया था, किए गए खर्च पूंजी प्रकृति के थे। विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण 8, धारा 43 (1) आयकर अधिनियम, 1961 पर भी निर्भरता रखी।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, एक बार विभाग ने COFACE को देय शुल्कों को ब्याज के समीकृत किया, हमारे द्वारा प्रकरण उपायुक्त, आयकर विभाग, अहमदाबाद बनाम सर्वश्री कोर स्वास्थ्य केयर लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित, सिविल अपील नम्बर 2002 का 3952-55 में पारित निर्णय क्रियाशील होता है।

तदनुसार, उक्त प्रश्न नं. (2) का उत्तर भी, निर्धारिती के पक्ष में और विभाग के खिलाफ दिया जाता है।

5. समापन करने से पहले, हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि, इस मामले में निर्धारिती द्वारा COFACE को भुगतान किए गए वित्तीय शुल्कों को भी, विभाग द्वारा प्रतिबद्धता शुल्कों के समीकृत रखा गया है, जिन्हें, जैसा कि ऊपर बताया गया है, राजस्व व्यय माना जाता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 के तहत कटौती योग्य माना जाता है। [अक्का माम्बा टेक्सटाइल्स लिमिटेड एवं शिव कामी मिल्स लिमिटेड, उक्त वर्णित]। अतः, दोनों ही मामलों में, उपरोक्त प्रश्न संख्या (2) का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और विभाग के विरुद्ध दिया जाता है। -

6. उक्त वर्णित कारणों से, विभाग की सिविल अपीलों को तदनुसार खारिज किया जाता है। काॅस्ट के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

एन. जे.

अपीलें खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंबिका सोलंकी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।